न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

JO Code No-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1227 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0 2651 / 2026

(CNR UPLP 0100 5652-2026)

कामता प्रसाद उम्र लगभग 46 वर्ष पुत्र दीनबन्धु निवासी ग्राम कुशभरिया, थाना फरधान, जिला लखीमपुर खीरी उ0प्र0।

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अपराध संख्या–273 / 2026

धारा–109(1) बी.एन.एस.,

थाना–फरधान, जिला–खीरी।

31.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त कामता प्रसाद की ओर से मु0अपराध संख्या 273 / 2026 धारा–109(1) बी.एन.एस., थाना–फरधान, जिला–खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा शिवराज द्वारा एक लिखित तहरीर संबंधित थाने पर दिनांक 05.07.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि दिनांक 04.07.2026 को समय करीब 9:00 बजे रात गांव के सूरज, राहुल व कामता प्रसाद ने उसके बेटे सर्वेश कुमार व धर्मेन्द्र कुमार को जान से मारने की नियत से चाकू से मारा है, काफी चोट आयी है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4– अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई कारण दर्शित नही किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त ने किस चोटहिल पर वार किया इसका कोई उल्लेख नही

किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से किसी चाकू की कोई बरामदगी नही हुयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है और जमानत होने के बाद अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्रो को चाकू से मार कर गम्भीर चोटे पहुॅचाई गयी हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 04.07.2026 को समय 21:00 बजे की है जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.07.2026 को समय 6:25 बजे दर्ज करायी गयी है। पत्रावली मे संलग्न मजरूब सर्वेश कुमार की चिकित्सीय रिपोर्ट में उसके शरीर पर 4 चोटे दर्शित की गयी है तथा डाक्टर द्वारा चोट सं0—1 को जेरे निगरानी रखी गयी तथा चोट सं0—2, 3 व 4 को साधारण प्रकृति की बतलाया गया है। मामले के साक्षीगण सोनी राज, धर्मेन्द्र कुमार, शिवराज आदि ने अपने बयान अं0धारा 180 बी0एन0एस0एस0 मे चोटहिल को चाकू मारने की विशिष्ट भूमिका सह अभियुक्त सूरज की बतलायी गयी है, प्रार्थी/अभियुक्त की भूमिका पकड़ने की बतलायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08.07.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8— अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण—दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कामता प्रसाद द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को 1,00,000/—रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1—प्रार्थी मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2—प्रार्थी विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3—प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभु के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभु के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
31.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.01 15:45:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court